न्यायालयः अपर सेशन न्यायाधीश श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारीः -- श्याम कुमार व्यास, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
फौजदारी अपील संख्याः -- 05/2023
सी.आई.एस नं. -- 05/2023
सी.एन.आर. नम्बर -- RJSG150000462023

विनोद कुमार पुत्र श्री नारायण लाल निवासी कचेहरी रोड, मैन हेयर ड्रेसर, गिल इलेक्ट्रॉनिक के साथ, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर।

–अपीलार्थी

बनाम

प्रीतमसिंह पुत्र श्री जोगेन्दर सिंह निवासी गजसिंहपुर, तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर।

–प्रत्यर्थी

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 23.12.2022 जो श्री कालूराम, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पदमपुर द्वारा नम्बरी फौजदारी प्रकरण सं. 225/2014, सीआईएस नम्बर 1606/2014 प्रीतम सिंह बनाम विनोद कुमार, अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में पारित कर अपीलार्थी को दोषसिद्ध कर दंडित किया गया। उक्त निर्णय व दण्डादेश को अपास्त किए जाने हेतु

उपस्थितिः

1. श्री विनय गर्ग, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से।
2. श्री कुलदीप बाना, विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 15.07.2026**

1. अपीलार्थी विनोद कुमार की ओर से यह अपील विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पदमपुर द्वारा नम्बरी फौजदारी प्रकरण सं. 225/2014, सीआईएस नम्बर 1606/2014, विनोद कुमार बनाम प्रीतम सिंह, अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में पारित निर्णय एवं दंडादेश दिनांक 23.12.2022 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रत्यर्थी प्रीतम सिंह ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी विनोद कुमार के विरूद्ध धारा 138 एनआई एक्ट के तहत एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी और अपीलार्थी की आपस में अच्छी जान पहचान थी। रूपयों का लेनदेन था। इसी दौरान अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी से कर्ज के रूप में एक लाख साठ हजार रूपए नगद प्राप्त किए, जिसकी अदायगी के लिए अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को एक चैक नम्बर 449113 ओबीसी बैंक शाखा रायसिंहनगर का दिनांक 20–07–2013 का रूपए एक लाख साठ हजार रूपए की राशि भरकर अपने हस्ताक्षरों से जारी कर सुपुर्द किया। इस चैक को दिनांक 27–07–2013 को प्रत्यर्थी ने अपने बैंक

एमजीबी ग्रामीण बैंक शाखा गजसिंहपुर में पेश किया, जिसे उक्त बैंक ने मैन ब्रांच रायसिंहनगर में भेज दिया तो अपीलार्थी की बैंक ओबीसी बैंक शाखा रायसिंहनगर ने चैक को बिना भुगतान के चैक वापसी ज्ञापन व अपर्याप्त निधि की टिप्पणी के साथ अनादृत कर वापस प्रत्यर्थी की बैंक ने यह ज्ञापन दिनांक 19–08–2013 को प्रत्यर्थी को लौटा दिया। प्रत्यर्थी ने अपने वकील के माध्यम से दिनांक 13–09–2013 को एक रजिस्टर्ड नोटिस अपीलार्थी के स्थाई पते पर इस आशय का प्रेषित किया कि चैक की राशि को 15 दिवस के भीतर प्रत्यर्थी को भुगतान कर रसीद प्राप्त कर लेवें। इस नोटिस की सूचना अपीलार्थी को दिनांक 14–09–2013 को हो गई, जिसकी अभिस्वीकृति प्रत्यर्थी के अधिवक्ता को दिनांक 19–09–2013 को प्राप्त हो गई। अपीलार्थी के द्वारा चैककृत राशि का भुगतान नहीं किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी का कृत्य धारा 138 एन आई एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। अंत में श्रवणाधिकार, मियाद बिन्दु का उल्लेख करते हुए अपीलार्थी/अभियुक्त को कारावास और चैककृत राशि से दुगुनी राशि स जुर्माना लगाकर दंडित किए जाने का निवेदन किया।

3 विचारण न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान और आरोप सारांश सुनाए जाने के पश्चात प्रत्यर्थी साक्ष्य ली गई। अपीलार्थी ने धारा 313 सीआरपीसी के तहत अपनी प्रतिरक्षा में अपनी विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताते हुए स्वयं को निर्दोष होना बताया है। अपीलार्थी द्वारा कोई प्रतिरक्षा पेश नहीं किए जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा बहस अंतिम सुनी जाकर अपीलार्थी के विरूद्ध दिनांक 23–12–2022 को अपराध अंतर्गत धारा 138 एनआई एक्ट में दंडनीय अपराध के आरोप को प्रमाणित मानते हुए अपीलार्थी को आठ माह के साधारण कारावास और दो लाख चालीस हजार रूपए के अर्थदंड व अदम अदायगी दो माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडित किया।

4 उपरोक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलाथी ने यह अपील इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत की है कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को चैक संख्या 449113 दिया जाना बताया गया है। जबकि बैंक द्वारा वापसी मीमो में चैक संख्या 448113 अंकित है। इससे यह साबित नहीं होता कि चैक संख्या 449113 अनादृत हुआ हो। इसके अलावा प्रत्यर्थी यह साबित नहीं कर पाया है कि प्रश्नगत राशि अपीलार्थी द्वारा किस तारीख को और किस उद्देश्य से उधार ली गई थी। इस रकम की व्यवस्था प्रत्यर्थी द्वारा कहां से की गई। इसके अलावा पावती रसीद प्रदर्श पी 5 पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर नहीं है, जिससे प्रत्यर्थी ने

अपनी जिरह में स्वीकार भी किया है। ऐसे में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को नोटिस प्रेषित किया जाना साबित नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त समस्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त किए जाने और अपीलार्थी को दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

5 उपरोक्त अपील में जारी नोटिस में प्रत्यर्थी जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुआ। विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जो कि प्रस्तुत हुई।

6 न्यायालय के समक्ष अवधार्य बिन्दू यह है कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों को अनदेखा करते हुए साक्ष्य का विधि सम्मत मूल्यांकन किए बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो अपास्त किए जाने योग्य है?

7 उपरोक्त् अवधार्य बिन्दु के संबंध में बहस सुनी गई।

8 दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को ऋण दिए जाने का कोई उद्देश्य, तारीख, वार, समय व स्थान के बारे में अपनी परिवाद और साक्ष्य शपथ पत्र में कोई उल्लेख नहीं किया है। प्रत्यर्थी की वर्ष 2012 में एक लाख साठ हजार रूपए उधार दिए जाने की वित्तीय हैसियत नहीं थी। प्रत्यर्थी द्वारा अपने परिवाद और साक्ष्य शपथ पत्र में आय का कोई स्त्रोत प्रकट नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी के परिवाद और साक्ष्य शपथ पत्र के अनुसार स्वयं परिवादी का यह कथन है कि अपीलार्थी द्वारा खाते में राशि की व्यवस्था किए जाने पर ही प्रत्यर्थी चैककृत राशि निकाल सकता था। इस प्रकार परिवाद और शपथ पत्र में प्रश्नगत चैका का सशर्त उपयोग का उल्लेख है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चैक का उपयोग किए जाने से पहले कोई सूचना न देकर शर्त की पालना नहीं की है। इसके अलावा अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी से मात्र पांच हजार रूपए अपनी दुकान का सामान खरीदने के लिए उधार लिए थे, जिसके बदले में प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी से प्रश्नगत खाली और हस्ताक्षरित चैक प्राप्त किया था। प्रत्यर्थी के द्वारा ऋण राशि पांच हजार रूपए के पेटे अपीलार्थी से चैक के दुरूपयोग की धमकी देकर पन्द्रह हजार रूपए वसूल कर लिए। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी से और अधिक पैसों की मांग की गई, जो अपीलार्थी देने में असफल रहा, जिस पर प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के खाली हस्ताक्षरित चैक का दुरूपयोग करते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध झूठा परिवाद पेश किया है। अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत श्री दत्तात्रेय बनाम शरणप्पा 2024 आईएनएससी 586 पेश किया।

9 तो उसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने लिखित बहस पेश करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि परिवादी को बैंक से जो चैक वापसी ज्ञापन प्राप्त हुआ है वह चैक संख्या 449113 का प्राप्त हुआ है, जिसे परिवादी ने अपने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से साबित किया है। विधिक ऋण के संबंध में धारा 118 व 139 की उपधारणा परिवादी/रेस्पोडेंट के पक्ष में हैं। उपरोक्त उपधाराओं को खंडित करने में अपीलार्थी असफल रहा है। प्रत्यर्थी से की गई जिरह में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी से ऋण लिए जाने के तथ्य से इन्कार नहीं किया है। प्रत्यर्थी अपनी जिरह में ऋण की राशि की व्यवस्था के संबंध में यह स्पष्ट बताया है कि वह इलेक्ट्रॉनिक सामान दुकानों में सप्लाई करने का काम करता है। अपने कारोबार के पैसे उसने अपीलार्थी को दिए थे। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी की हैसियत को प्रश्नगत नहीं किया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों की संगत शाहदत के संगत व विधि सम्मत फैसला किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील निरस्त करते हुए अपीलाधीन निर्णय पुष्ट किया जावे।

10 उपरोक्त बहस के आलोक में पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सुसंगत विधि का विवेचन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन कर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया।

11 इस संबंध में प्रत्यर्थी ने अपने मुख्य परीक्षण बाबत प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र में स्वयं की अपीलार्थी के साथ अच्छी जान पहचान होने, रूपयों का लेनदेन होने, अपीलार्थी द्वारा उससे कर्ज के रूप में एक लाख साठ हजार रूपए नगद प्राप्त करना, उस राशि की अदायगी के लिए चैक नम्बर 449113 ओबीसी बैंक शाखा रायसिंहनगर में दिनांक 20–07–2013 को हस्ताक्षर कर जारी कर सौपते हुए कहना कि उक्त खाते में चैककृत राशि का इंतजाम कर राशि प्राप्त कर लें, जिस पर प्रत्यर्थी के द्वारा चैक को दिनांक 27–07–2013 को एमजीबी ग्रामीण बैंक शाखा में पेश किया जाना, जहां से मैन ब्रांच रायसिंहनगर को भेजा जाना, अपीलार्थी की बैंक के द्वारा उक्त चैक को बिना भुगतान किए वापसी ज्ञापन सहित अपर्याप्त निधि की टिप्पणी के साथ अनादृत कर लौट दिया जाना, दिनांक 13–09–2013 को अपीलार्थी को रजिस्टर्ड नोटिस अधिवक्ता के जरिए प्रेषित किया जाना, अपीलार्थी द्वारा नोटिस प्राप्ति के बावजूद चैककृत राशि का भुगतान नहीं किया जाना, असल चैक प्रदर्श पी 1 पर ए से बी स्थान पर अपीलार्थी विनोद कुमार के हस्ताक्षर

उसके सामने होना, एमजीबी ग्रामीण बैंक शाखा गजसिंहपुर का वापसी ज्ञापन प्रदर्श पी 2 होना, विधिक नोटिस प्रदर्श पी 3 होना, पोस्टल रसीद प्रदर्श पी 4 होना, अभिस्वीकृति प्रदर्श पी 5 होने का अभिकथन किया है।

प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि पैसे उसने किसी के सामने नहीं दिए। अभियुक्त उसके घर से लेकर गया था। वह इलेक्ट्रॉनिक सामान दुकानों पर सप्लाई का काम करता है। उसने अपने कारोबार के पैसों में से पैसे उधार दिए थे। चैक उसे 7 वें महीने 2013 को दिया गया था। यह स्वीकार किया कि प्रदर्श पी 5 पर विनोद के हस्ताक्षर नहीं है।

12 अपीलार्थी ने अपने बयान मुलजिम में अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताते हुए स्वयं को निर्दोष होना बताया और साक्ष्य सफाई के लिए अवसर प्राप्त किए जाने के बावजूद कोई साक्ष्य सफाई प्रस्तुत नहीं की।

13 इस प्रकार उभपक्षकारान की ओर से प्रस्तुत तर्कों और प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य की विवेचना से प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने प्रश्नगत चैक प्रत्यर्थी को पांच हजार रूपए के ऋण पेटे खाली हस्ताक्षरित करके दिया जाना बताया है। इस प्रकार अपीलार्थी के द्वारा प्रश्नगत चैक पर अपने हस्ताक्षर को स्वीकार किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के हस्ताक्षर की स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 118 व 139 में उपबंधित उपधारणाएं प्रत्यर्थी के पक्ष में मानी है, परंतु यह उपधारणाएं खंडनीय है। अतः ऐसे में न्यायालय को यह देखना है कि क्या प्रत्यर्थी अपीलार्थी पर आरोपित अपराध संदेह से परे साबित में सफल रहा है अथवा अपीलार्थी धारा 118 व 139 में उपबंधित उपधारणाएं संभावनाओं की प्रबलता की हद तक खंडित करने में सफल रहा है। इस संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद और साक्ष्य शपथ पत्र में प्रत्यर्थी के द्वारा यह स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि अपीलार्थी ने उसे प्रश्नगत चैक जारी कर कहा कि उक्त खाते में उसके द्वारा चैककृत राशि का इंतजाम करने में वह राशि प्राप्त कर लेवें। इस प्रकार दोनों पक्षकारों के बीच ऐसी स्पष्ट शर्त होना प्रकट होती है कि अपीलार्थी के खाते में राशि उपलब्ध होने तक प्रत्यर्थी के द्वारा प्रश्नगत चैक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद प्रत्यर्थी ने यह जानते हुए कि अपीलार्थी के खाते में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं है ,दिनांक 27–07–2013 को प्रश्नगत चैक समाशोधन हेतु अपने बैंक में प्रस्तुत कर दिया। इस प्रकार अपीलार्थी के द्वारा अपने खाते में चैक राशि की व्यवस्था किए जाने से पूर्व ही प्रत्यर्थी के द्वारा अपने परिवाद में उल्लेखित शर्त (Condition precedent) का उल्लंघन करते हुए चैक बैंक में प्रस्तुत कर

दिया जाना प्रकट होता है।

14 इसके अलावा प्रत्यर्थी ने अपने परिवाद और साक्ष्य शपथ पत्र में अपने आय के स्त्रोत के बारे में किंचित मात्र भी कोई तथ्य उल्लेखित नहीं किए हैं और ना ही अपीलार्थी को वर्ष 2012 में एक लाख साठ हजार रूपए जैसी बड़ी रकम उधार दिए जाने की अपनी वित्तीय क्षमता को प्रकट किया है। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी से जिरह के दौरान उसकी वित्तीय क्षमता को आक्षेपित किया गया है, जिसमें प्रत्यर्थी ने यह कथन किया है कि पैसे उसने किसी के सामने नहीं दिए। वह इलेक्ट्रॉनिक सामान दुकानों पर सप्लाई करता है। उसकी कोई दुकान नहीं है, वह घर में रखे हुए सामान को सप्लाई करता है, उसी कारोबार का पैसा उसने अपीलार्थी को दिया था।

15 इस प्रकार प्रत्यर्थी के द्वारा अपनी वित्तीय क्षमता के बारे में जिरह में साधारणतः यह कथन किया गया है कि वह इलेक्ट्रॉनिक सामान की सप्लाई का काम करता है और उसी कारोबार से प्राप्त पैसे को उसने अपीलार्थी को दिए थे, परंतु प्रत्यर्थी ने न तो कथित कारोबार के अस्तित्व को प्रकट करने के उद्देश्य से और न ही कोई दस्तावेज पेश किए हैं और न ही उपरोक्त कथित कारोबार से उसे कितनी आय हो जाती है, इस बारे में कोई कथन किया है और न ही आयकर विवरणिका प्रस्तुत की गई है।

16 इस प्रकार प्रत्यर्थी ने वर्ष 2012 में एक लाख साठ हजार जैसी बड़ी राशि को उधार देने के संबंध में अपनी आर्थिक क्षमता (Finacial Capacity) को स्थापित करने में असफल रहा है।

17 इसके अलावा परिवाद और प्रत्यर्थी के साक्ष्य शपथ पत्र में अपीलार्थी को एक लाख साठ हजार रूपए का ऋण दिए जाने की तिथि, समय व स्थान का कोई उल्लेख नहीं है और न ही उपरोक्त राशि को नगद उधार दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी के द्वारा कोई रसीद, लिखित दस्तावेज और स्वतंत्र गवाह पेश किया गया है।

18 इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत दत्तात्रेय बनाम शरणप्पा के मामले में चैक और समझौते पर हस्ताक्षर की स्वीकृति पाई गई थी। शिकायतकर्ता की वित्तीय क्षमता के संबंध में शिकायतकार्ता के विरोधाभासी कथन थे, जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहां चैक जारी करने के संबंध में शिकायतकर्ता के कथन विरोधाभासी हो और वित्तीय क्षमता का कोई प्रमाण या कर रिटर्न में कोई स्वीकृति न हो तो धारा 139 के तहत वैधानिक अनुमान कमजोर हो जाता है और

उत्पन्न नहीं हो सकता है।

19 इस प्रकार प्रत्यर्थी एक लाख साठ हजार रूप्ए उधार देने की अपनी वित्तीय क्षमता को साबित करने में असफल रहा है। परिवाद और साक्ष्य शपथ पत्र के अनुसार प्रत्यर्थी के द्वारा चैक का सशर्त उपयोग ही किया जा सकता था। प्रत्यर्थी द्वारा शर्त (Condition precedent) का उल्लंघन किया जाना पाया गया है। ऋण दिए जाने की तिथि, समय व स्थान का कोई उल्लेख परिवाद और साक्ष्य शपथ पत्र में प्रत्यर्थी ने नहीं किया है और न ही ऋण दिए जाने की कोई रसीद, लिखित दस्तावेज और स्वतंत्र गवाह भी पेश किए है। इस प्रकार प्रत्यर्थी जहां संदेह से परे यह साबित करने में असफल रहा है कि उसका अपीलार्थी में विधितः प्रवर्तनीय ऋण विद्यमान है, वहीं अपीलार्थी संभावनाओं की प्रबलता की हद तक धारा 118 व 139 में उपबंधित उपधारणाओं को खंडित करने में सफल रहा है।

20 विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में उपरोक्त तथ्यों के संबंध में साक्ष्य की विधि सम्मत विवेचना किए बिना ही केवल उपधारणा के आधार पर अपीलार्थी को दोषसिद्ध करते हुए दंडादेश पारित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत न होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

21 लिहाजा अपीलार्थी विनोद कुमार पुत्र श्री नारायण लाल निवासी कचेहरी रोड, मैन हेयर ड्रेसर, गिल इलेक्ट्रॉनिक के साथ, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर की ओर से प्रस्तुत की गई अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य आदेश दिनांक 23.12.2022 अपास्त किया जाता है। विचारण न्यायालय की पत्रावली इस निर्णय की प्रति सहित अविलम्ब विचारण न्यायालय को लौटाई जावे।

(श्याम कुमार व्यास)

22 निर्णय आज दिनांक 15.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्याम कुमार व्यास)